संख्या–817 /अठठासी–10–55खा/10

प्रेषक,

दीपक कुमार,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उ0प्र0।
3. समस्त जनपद प्रभारी,
   पुलिस उप महानिरीक्षक/
   वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
   पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

खादय एवं औषधि प्रशासन अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 11 मई, 2010

विषयः– अपमिश्रित खादय पदार्थ एवं नकली, अधोमानक, मिथ्याछाप औषधियों से संबंधित प्रकरणो में कमशः खादय अपमिश्रण निवारण अधिनियम तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत अपराध घटित होने पर संबंधित न्यायालय में परिवाद दायर करने तथा भा0द0वि0 के अन्तर्गत अपराध घटित होने पर सुसंगत धाराओं में संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खादय अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा–20 के अन्तर्गत खादय पदार्थो के अपमिश्रण से संबंधित अपराध घटित होने पर खादय निरीक्षक द्वारा तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा–32 के अन्तर्गत औषधियों के नकली, अधोमानक एवं मिथ्याछाप से संबंधित अपराध घटित होने पर संबंधित औषधि निरीक्षक द्वारा संबंधित न्यायालय में वाद दायर किया जाता है।

2– भारतीय दण्ड विधान (I.P.C.) संहिता की धारा–272 में विकय के लिए आशयित खादय या पेय का अपमिश्रण, धारा–273 में अपायकर (NOXIOUS) खादय या पेय का विकय दण्डनीय अपराध है। इसी प्रकार भा0द0वि0 की धारा–274 में औषधियों का अपमिश्रण, धारा–275 में अपमिश्रित औषधियों का विकय एवं धारा–276 में एक औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के रूप में विकय दण्डनीय अपराध है। उक्त अपराधो के संबंध में द0प्र0सं0 की धारा–154 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने की व्यवस्था दी गयी है। पुलिस विवेचना अधिकारी द्वारा सम्पादित की जा रही विवेचना में साक्ष्य संकलन के कम में अपमिश्रण के लिए प्रयोग में लाये गये कच्चे माल के स्त्रोत, पैकेजिंग, लेबलिंग, बिल वाउचर्स इत्यादि के परिप्रेक्ष्य में गहनता से विवेचनात्मक कार्यवाही तथा अपराध में संलिप्त सभी अपराधियों, सभी स्थानों इत्यादि के विषय में साक्ष्य संकलित कर सम्पूर्ण प्रकरण की तह तक जाने की महती आवश्यकता है।

3– दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–210 में समान अपराध में पुलिस विवेचना एवं न्यायालय में परिवाद दायर होने पर न्यायालय द्वारा अपनायी जाने वाली प्रकिया का उल्लेख किया गया है। जब अपराध से संबंधित परिवाद न्यायालय में दायर किया जाता है और उसी अपराध के परिप्रेक्ष्य में थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज होती है, तो पुलिस विवेचना अधिकारी द्वारा सम्पादित की गयी विवेचना रिपोर्ट न्यायालय में दायर होने पर न्यायालय द्वारा दोनो प्रकरणों को सम्बद्व कर एक साथ परीक्षण किया जाता है।

4— खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत अपराध घटित होने पर संबंधित खाद्य निरीक्षक तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत अपराध घटित होने पर संबंधित औषधि निरीक्षक द्वारा परिवाद न्यायालय में दायर किये जाते है। इसी प्रकार खाद्य अपमिश्रण से संबंधित अपराध घटित होने पर भा0द0वि0 की धारा—272 एवं 273 तथा नकली, अधोमानक एवं मिथ्याछाप से संबंधित अपराध घटित होने पर भा0द0वि0 की धारा—274,275 एवं 276 में संबंधित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस को विवेचना करने का अधिकार है।

5— उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि खाद्य अपमिश्रण संबंधी मामले में संबंधित खाद्य निरीक्षक तथा औषधि अपमिश्रण के मामले में संबंधित औषधि निरीक्षक द्वारा परिवाद न्यायालय में दायर किया जाता है तथा उसी प्रकरण में संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होकर विवेचना की कार्यवाही के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो दोनो प्रकरणो को सम्बद्व कर न्यायालय द्वारा परीक्षण एक साथ किया जाता है।

6— उपरोक्त विधिनान्य व्यवस्था के होते हुये भी शासन के संज्ञान में आ रहा है कि अपमिश्रित खाद्य पदार्थो/नकली, अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषधियों के प्रकरणों में खाद्य निरीक्षकों/औषधि निरीक्षकों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने मे हीलाहवाली की जा रही है, जिसे किसी भी प्रकार से उचित नही कहा जा सकता है। अतएव यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों, जिनमें खाद्य पदार्थ से संबंधित नमूने राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला की जॉच रिपोर्ट में अपमिश्रित पाये जाते है तथा औषधियों से संबंधित नमूनें प्रयोगशाला की जॉच रिपोर्ट में अपमिश्रित, मिथ्याछाप या नकली पाये जाते है तो संबंधित खाद्य निरीक्षक/औषधि निरीक्षक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की विधि सम्मत कार्यवाही की जाए। इसके साथही ऐसे प्रकरण जो बिना लाइसेंस के पाये जाय या जिनमें संज्ञेय अपराध घटित होने का संदेह हो, उनमें भी तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
सचिव।

संख्या— (1)/अठठासी—10—तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ।
2— अपर आयुक्त, प्रशासन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे समस्त मुख्य खाद्य निरीक्षक/खाद्य निरीक्षकों/सहायक औषधि नियंत्रक/औषधि निरीक्षकों को अपने स्तर से तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करें।
3— समस्त स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी, उ0प्र0।
4— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0के0 द्विवेदी)
विशेष सचिव।